IJAER/ September-October 2023 /Volume-12/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

राजस्थान में सुशासन – 2009 से 2018 तक की सरकारों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन

राजेश कुमार मीणा

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान शहीद कैप्टन रिपूदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय

सवाई माधोपुर

डॉ प्रोफेसर बीएल सैनी

निर्देशक हिंदी ग्रंथ अकादमी झालाना डूंगरी जयपुर।

सार

लोकतांत्रिक राष्ट्र जब समाज कल्याण और प्रगति के प्रति अपने संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर परिश्रम करता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत मिलकर उसकी आत्मा की रचना करते हैं। एक राष्ट्र के रूप में 68 वर्ष पहले संकल्प लिया था ताकि प्रगति, समृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ते वक्त ये सिद्धांत हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें। प्रस्तावित शोध परियोजना को पूर्ण करने हेतु ई–शासन, सुशासन और राजस्थान में सुशासन से संबन्धित पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है।वर्तमान अनुसंधान से सम्बन्धित साहित्य विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया है जैसे – पुस्तकालय, लेख, वेब ब्राउजिंग, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत लेख, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में प्रस्तुत लेख आदि। वस्तुतः इंटरनेट सरकारी दफ्तरों से निकल कर घर तक पहुँच चुका है ऐसे में ई–शासन के जरिये विभिन्न योजनाओं को आम जन तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। है। ई–शासन की व्यवस्था लागू होने से हर व्यक्ति बिना किसी अड़चन के सरकारी योजनाओं के बारे में जान पा रहा है और योजनाओं का लाभ भी आमजन तक पहुँचने लगा है। सुशासन वर्तमान समय में एक सुसंगत पद है। भारत ही नहीं समस्त विश्व में श्सुशासनश की अवधारणा लोकप्रिय हो रही है। आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में सुशासन की अपेक्षा रखता है और इसी की कामना करता है। किसी भी शासन प्रणाली में सुशासन के अपने लाभ है, सुशासन कोई नई तकनीक नहीं है न ही नया पद, यह तो आदिकाल से चला आ रहा शासन का वह दर्शन है जिससे राज्य का काम सुचारू रूप से संचालित होता है।

प्रस्तावना

हमारा राष्ट्र विभिन्न चौराहों पर खड़ा है और आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वे उनसे काफी भिन्न हैं जो 68 वर्ष पहले थीं । परंतु हमारे गणतंत्र की आधारशिला रखनेवाले सिद्धांत अभी भी वही हैं और हम उन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे बहुत कम देश हैं, विशेषकर विकासशील विश्व में जो समय पर खरी उतरी हमारे यहां की सुदृढ़–लोकतांत्रिक संस्थाओं के होने का दावा कर सकते हों परंतु संस्थाओं और व्यवस्थाओं दोनों को निरंतर इस प्रकार रूपायित किया जाना चाहिये कि वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार काम कर सकें और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने में वे प्रभावी सिद्ध हो सकें । संविधान संशोधन (1992) के नरिये पंचायती राज की स्थापना जैसे प्रयास हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक पद्धति के विकास के प्रतीक हैं। इसी के कारण शक्तियां और अधिकार निचले स्तर तक पहुंची हैं ताकि वे प्रभावी तथा कार्यकुशल बन सकें। आज ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या 32 लाख हैं जो गांवों, कस्बों और शहरों से इस प्रणाली के अंतर्गत चुने गए हैं। गौरतलब है कि इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में 12 लाख महिलाएं हैं। लोकतंत्र के इतिहास में निर्वाचित प्रतिनिधियों की यह सबसे बड़ी संख्या है। लोगों को सशक्त बनाने वाला औजार लोकतंत्र, भारत में अपने विशिष्ट और अनूठे देश अंदाज में अभिव्यक्त होता है। लोकतांत्रिक सहभागिता की ऐसी मिसाल दुनिया के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती है।

विश्व का भविष्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति से ही आकार ग्रहण करेगा क्योंकि हमारा एकीकृत ग्रह (पृथ्वी) बराबर बढ़ता हुआ ज्ञान आधारित होता जा रहा है। यद्यपि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तथा जैव–प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हमें मजबूत बढ़त मिली हुई है। तथापि हमें अनुसंधान एवं विकास में आगे और निवेश जारी रखना होगा। हमें अपनी शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ और उन्नत बनाना होगा। विद्यार्थियों को मूलभूत विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। राज्य सरकारों और शिक्षण संस्थाओं को विज्ञान विषयों की ओर आकर्षित करने हेतु विशेष प्रयास करने चाहिए। देश के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्त्वपूर्ण औजार है। ज्ञान की खोज सदा से ही देश के जातीय संस्कार का अंग रही है। इन्हीं सब कारणों से स्वतंत्रता के बाद से ही हमने संगत रीति से शिक्षा का सुदृढ़ ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया है। आज एक राष्ट्र के रूप में हम देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। हमारे गणतंत्र के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए जहां हम अपने पूर्वजों के योगदान को शिरोधार्य करते हैं वहीं हम देश की प्रगति और विकास को नयी दिशा देने की जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी। हमारे आज के निर्णयों का भावी पीढ़ियों पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा और वे देश के भविष्य का आकार तब करेंगे।

उद्देष्य –

- अपराधों को रोकने के प्रति सावधानियों को जानना।
- आम जनता में जागरूकता को जानना।
- आम नागरिक व पुलिस के मध्य संभावनाओं व सहभागिता को जानना।

राजस्थान बजट 2014.15 के अनुसार –

- पुलिस यातायात व्यवस्था के लिए 23 करोड़ में नये वाहनों को खरीदना।
- समन्वित जेल विकास योजना के अर्न्तगत क्षमता बढ़ाना।
- महिला बंदीगृहों का निर्माण (37 करोड़) – उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर तथा भरतपुर जिलों में।
- पॉलिग्राफ सेन्टर की जयपुर में स्थापना। बीकानेर तथा जयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाना।
- जयपुर के केन्द्रीय कारागार, जोधपुर जेल को राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्स से जोड़ना।
- जिला न्यायालय, झालवाड़ में मॉडल लॉइब्रेरी की स्थापना।

वर्तमान विकास की स्थिति

अक्टूबर 2014 में लागू इस योजना के फेज प्रथम में 103 पुलिस स्टेशन में इस योजना को संचालित किया गया था। जिसमें चार जिलों अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा तथा जयपुर शामिल थे। फेज द्वितीय में यह योजना 320 पुलिस स्टेशनों में संचालित की गयी थी। जिसमें कोटा (षहर) और कोटा (ग्रामीण) भी सम्मिलित थे।

इस योजना का उद्देष्य – '' सबकुछ, कुछ भी, एक ही स्थान पर '' परियोजना के बारे में कुछ भी और सब कुछ एक ही स्थान पर सीआईपीए के द्वारा राजस्थान के सभी पुलिस स्टेषनों को राज्य मुख्यालय तथा आपस में एक दूसरे को जोड़ना, साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागों को भी इससे जोड़ा गया है। जिससे इन्टरनेट के

माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान आसानी से हो सके। इससे कार्यो में तत्परता, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता आयेगी। धन, श्रम व समय की बचत होगी।

राजस्थान में सुशासन के आयाम

राजस्थान में गुड गवर्नेन्स के निम्न प्रमुख आयाम रहे हैं

(1) कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा

(2) विकासात्मक प्रशासन

(3) सूचना का अधिकार एवं पारदर्शिता तथा

(4) स्वच्छ प्रशासन

किसी भी सच्चे लोकतंत्र तथा सुशासन के लिए जरूरी है कि शासन के कार्यों में अधिकतम पारदर्शिता हो तथा नागरिकों को अधिकतम सूचनाऐं आसानी से हासिल हो सके। ष्सूचना सम्पन्न नागरिक ही इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि उनके संसाधनों का प्रबंधन करने तथा शासन का दायित्व संभालने वाले लोग वास्तव में किस हद तक सुशासन की ओर बढ़ रहे है।ष इसी के आधार पर यह तय होता है कि शासन और प्रशासन से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने जवाबदेह तथा नागरिकों के प्रति किस हद तक उत्तरदायी है।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का गठन

मुख्यमंत्री कार्यालय में 25 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में आवश्यकता के अनुरूप लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन आधार पर सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की पारदर्शितापूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन करने का निर्णय किया गया। नई कम्पनी के गठन का मुख्य उद्देश्य विद्युत के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक क्रय संबंधी कार्य के साथ वितरण निगमों के नियामक सम्बन्धी कार्य, विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगमों में समन्वय स्थापित करना है। प्रस्तावित कम्पनी की स्थापना 5 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। ये कम्पनी पूर्णतः सरकारी होगी। इस कम्पनी की अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये होगी जो 100 रुपये प्रति शेयर की दर से एकत्रित की

जाएगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (8) के अनुसार प्रदेश की पांचों विद्युत कम्पनियों की होल्डिंग नई कम्पनी के पास होगी। पांचों विद्युत कम्पनियों के प्रबंध निदेशक इस कम्पनी के डायरेक्टर होंगे तथा विद्युत विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके चेयरमैन होंगे।

राजस्थान सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कदम

अनेक महत्वपूर्ण आवेदन अब ऑनलाइन किये जा सकते हैं जिससे निवेशकों को फॉलो अप करने के लिये स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है।

- स्थापना एवं संचालन की सहमति के लिये श्तत्काल स्कीमश आरम्भ ।
- इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट, कन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एवं अप्रेन्टिसि एक्ट में संशोधन ।
- जांच के बदले स्व–प्रमापीकरण, श्रम जांच वर्ष में अब केवल एक बार ।

जन सुनवाई का अधिकार एवं सुशासन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–21 व्यक्ति के श्जीवन जीने के अधिकारश को सुनिश्चित करता है, इसी दिशा में सन् 1978 में श्मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिकार की परिभाषा बदली एवं इसे गरिमामय जीवन जीने का अधिकार नाम दिया, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं व अधिकारों की रक्षा करने व समस्याओं के निवारण का दायित्व प्रशान का होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी के साथ अनुच्छेद–21 में सुनवाई के अधिकांष को भी जोड़ा गया। यह अधिनियम नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार है। लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो, जिसमें वह अपने प्रतिनिधियों से, यदि उन्हें उनके लिए बनाई गई नीतियों की सेवाएँ न प्राप्त हो रही हों व अधिकारों का हनन हो रहा हो, अतः राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से लोकतंत्र को अधिक सशक्त करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम को सांस्थानिक बल देने के लिए अलग से श्लोक सेवा निदेशालय की स्थापना भी की गई है। अब तक कुल 25,475 प्रकरण दर्ज हुए है एवं 24,001 प्रकरण निस्तारित किए गए है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 रू प्रमुख प्रावधान

आम आदमी की कई शिकायतें व समस्याएं प्रशासन या सरकार से संबंधित होती है, जिनका हल भी सरकार ही दे सकती है। यदि सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी नीति के पारदर्शी ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने से आम आदमी की समस्याएं हैं तो उसका निवारण सरकार द्वारा ही किया जायेगा। यह महत्त्वपूर्ण है कि जनता की समस्या, शिकायतें एवं सुझाव पूर्ण सहानुभूति व जिम्मेदारी के साथ सुनी जाए तथा उनका निवारण कर उन्हें समाप्त करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जाये। यदि शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई उनके प्रारंभिक स्तर पर ही सरकार द्वारा किया जाये तो उसे समाप्त किया जा सकता है, व इसमें समय एवं धन का व्यर्थ व्यय नहीं होता। इसी दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा समस्याओं के निवारण हेतु एक नियत समयावधि में आम आदमी की समस्या की सुनवाई का प्रावधान अपने अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है ताकि प्रभावी व त्वरित रूप से समस्या की सुनवाई हो सके। इस अधिनियम की महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि इस अधिनियम के तहत् व्यक्ति की समस्या की सुनवाई उसके समीपस्थ स्थान पर होगी। इसके लिए सरकार द्वारा श्लोक सुनवाई केन्द्रोंश की स्थापना कर लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है समय पर आम आदमी की समस्याओं का निवारण हो व वह सरकारी सेवाओं या नीतियों का उचित लाभ उठा सकें।

राजस्थान में ई–गर्वनेन्स (ग्रामीण स्तर पर)

73 वें संविधान संशोधन के पश्चात् भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने में पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे ग्रामीणों में उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत हुई है। सरकार द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखाने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही भारतीय लोकतंत्र के एक नये चेहरे का प्रतिनिधित्व कर रही है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना ई–शासन:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी ग्याहरवीं रिपोर्ट में भारत में ई– शासन पहलों के विभिन्न पहलुओं की जांच की आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि ई–शासन परियोजनाओं में भी नागरिकों और सरकार के बच अन्योन्यक्रिया को चलने के लिये नागरिकों को एक केन्द्र बिन्दु मानते हुए तथा आईटी क्रान्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रौद्योगिकीय साधनों का प्रयोग करके, शासन सुधारों पर बल देना होगा।

□□□□□□□□

भारत जैसे कल्याण राज्य में, नागरिकों की विस्तृत रूपों में सरकार के साथ एक सेवा प्रदाता के रूप में, सामाजिक भौतिक अवस्थापना आदि के रूप में अनेक प्रकार की अन्योन्यक्रियाएं होती हैं। कभी–कभी आन्तरिक अकार्यकुशलताओं का कार्य अधिक जटिल हो जाता है तथा कभी– कभी सरकारी एजेंसी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बाह्य बाधाएं उन्हें नागरिक आकांक्षाओं को पूरा करने से रोकती है। उन नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना, जिनकी आकांक्षा की पूर्ति करना है, प्रमुख रूप से सम्बन्धित सरकारी एजेंसी का कार्य है, यद्यपि प्रायः सीमित कार्यक्षेत्र वाली बाह्य जवाबदेही पद्धतियों रहती हैं।

सन्दर्भ–ग्रन्थ सूची

1. राजस्थान का राज्य – प्रशासन, अंतरसिंह, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
2. भारत में राज्यों की राजनीति, डॉ. उम्मेदसिंह इन्दा, आर. बी. एस. ए., जयपुर
3. राज्य – प्रशासन, पत्रिका ईयर बुक, 2013, जयपुर
4. राजस्थान की राजनीति, विजय भंडारी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली
5. विधानबोधनी, जयपुर 1997
6. विधानबोधनी, स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, पू. 197
7. चतुर्थ राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर
8. पंचम राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर
9. षष्ठ राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर
10. सप्तम् राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर

11. अष्टम् राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर

12. नवम् राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर